

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- जनपद शाहजहांपुर दिनांक 19.11.2022

थाना रामचन्द्र मिशन को मिली बड़ी सफलता,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 25 लाख 40 हजार रूपये कीमत की 127 ग्राम चरस बरामद कर मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर क निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व श्री अखण्ड प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण मे थाना रामचन्द्र मिशन को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 19.11.2022 को श्री महेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक थाना रामचन्द्र मिशन के नेतृत्व मे थाना रामचन्द्र मिशन की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय 12.23 बजे मो0 गढी गाडीपुरा से मादक पदार्थ तस्कर संतोष को गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध मे थाना रामचन्द्र मिशन पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

1--- दिनांक 19.11.22 को थाना क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मो0 गढी गाडीपुरा से मुखबिर की सूचना पर स्पार्कल होटल सागौन की बगिया के पास से अभियुक्त संतोष पुत्र रतिराम गुप्ता निवासी तहवरगंज थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहांपुर को मय 127 ग्राम चरस (फाईन क्वालिटी) के साथ गिरफ्तार किया गया । जिस संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 446/22 धारा 10/20 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त को जेल भेजा गया ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

मो0 गढी गाडीपुरा से, दिनांक 19.11.2022 व समय 12.23 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त-

संतोष पुत्र रतिराम गुप्ता निवासी तहवरगंज थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग:---

मु0अ0सं0 446/22 धारा 10/20 NDPS ACT

आपराधिक इतिहास:---

- 1.मु0अ0सं0 898/2017 धारा 379/511 आईपीसी थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
- 2.मु0अ0सं0 622/2018 धारा 4/25 आईपीसी थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर
- 3.मु0अ0सं0 152/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
- 4.मु0अ0सं0 41/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
- 5.मु0अ0सं0 78/2022 धारा 13 जी एक्ट रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
- 6.मु0अ0सं0 226/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
- 7.मु0अ0सं0 112/2022 धारा 60(2) आब0 अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर

बरामदगी:—

अभियुक्त के कब्जे से 127 ग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 25 लाख 40 हजार रूपये कीमत)

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया साहब आस-पास के क्षेत्रों जैसे सेहरामऊ दक्षिणी, रोजा आदि स्थानों पर कुछ लडके बेचने आते हैं जो अपनी जानकारी गुप्त रखते हैं उनसे सस्ते दामो मे खरीद लेता था और फिर आस-पास के क्षेत्रों मे मँहगे दामो मे बेच देता था ।

पुलिस पार्टी-

1. प्र०नि० श्री महेन्द्र सिंह यादव थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
2. उ०नि० श्री महेश सिंह थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
3. का० 1998 नरेन्द्र सिंह थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
4. का० 1993 नवल चौधरी थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर
5. का० 2041 सावन मलिक थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहाँपुर